भारत सरकार
इस्पात मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 457
2 दिसंबर, 2025 को उत्तर के लिए

बीएसपी के स्वामित्व वाली भूमि का छत्तीसगढ़ राज्य सरकार को हस्तांतरण

457. श्री विजय बघेलः

क्या **इस्पात** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भिलाई इस्पात संयंत्र (बीएसपी) क्षेत्राधिकार के अंतर्गत घनी आबादी वाली श्रमिक बस्तियों, जैसे नेवई बस्ती, मरोदा, तहसील और जिला दुर्ग (छत्तीसगढ़) की तेजी से बढ़ती आबादी के लिए जीवन यापन हेतु बुनियादी आवश्यकताओं का प्रावधान सुनिश्चित करने के लिए कोई कदम उठाए हैं;

(ख) क्या सम्पूर्ण बस्ती क्षेत्र में बीएसपी के स्वामित्व वाली भूमि को राज्य सरकार को हस्तांतरित करना आवश्यक है, ताकि उन्हें माननीय प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षी योजनाओं जैसे पीएम पट्टा वितरण, पीएम आवास योजना आदि का लाभ मिल सके; और

(ग) यदि हां, तो घनी आबादी वाली मज़दूर बस्तियों जैसे कि पूरा बस्ती क्षेत्र नेवई बस्ती, मरोदा आदि की ज़मीन को रिसाली नगर निगम, छत्तीसगढ़ सरकार को हस्तांतरित करने की मौजूदा स्थिति का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

इस्पात राज्य मंत्री (श्री भूपतिराजु श्रीनिवास वर्मा)

(क) से (ग): भिलाई इस्पात संयंत्र (बीएसपी) के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली भूमि का अधिग्रहण कर लिया गया था तथा इसे इस्पात संयंत्र की स्थापना और उनसे संबंधित क्रियाकलापों के लिए केंद्र सरकार को सौंप दिया गया था। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) ने नेवई बस्ती, मरोदा सहित भिलाई इस्पात संयंत्र के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली श्रमिक बस्तियों के लिए बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के साथ समझौता ज्ञापनों (एमओयू) पर हस्ताक्षर किया है। निम्नलिखित भूमि खंडों के संबंध में छत्तीसगढ़ राज्य सरकार को भिलाई इस्पात संयंत्र की भूमि के स्वामित्व हस्तांतरण हेतु सेल (बीएसपी) द्वारा सभी आवश्यक औपचारिकताएँ पूरी कर ली गई हैं:

-290.26 एकड़ भूमि (रूबांधा, मरोदा, जोरातराई, पुरेना, छाओनी तथा खुर्सीपारा ग्राम में स्थित) और

- नेवई ग्राम में 151.46 एकड़ भूमि (मौहारी बागीचा, स्टेशन मरोदा, नेवई (एचएससीएल कॉलोनी), नेवई पुरानी बस्ती और नेवई भाटा)

******